न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 02.07.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00159

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री पूरणमल पिता काशीगिरी जाति गुसाई, निवासी पिनोदड़ा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 17(क) राजस्थान उप निवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन सलाहकार कमेटी, बडीसादडी बमिसल क्रमांक 383/92 आवंटन दिनांक 26.06.1995

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन

Web Copy - Not Official

किया कि मौजा पिनोदड़ा की आराजी नम्बर 302 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि विपक्षी श्री पूरणमल पिता काशीगिरी गुसाई के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 169 रकबा 83 बीघा 15 बिस्वा है जिसमें से 1 बीघा भूमि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये मिसल नम्बर 383/92 से दिनांक 26.06.1995 को आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 260 दिनांक 12.07.1995 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात् से अब तक विपक्षी का कब्जा नहीं है व न ही मौके पर काश्त हो रही है तथा उक्त आराजीयात पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होकर काश्त की जा रही है। विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक व्यास ने अधिकार पत्र पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षी तथा उसके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षी तथा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब करने पर उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा ने उक्त पत्रावली गहन तलाशी के बाद भी नहीं मिल पाने से भिजवाया जाना सम्भव नहीं होना बताया। अतः बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा नहीं होकर अन्य व्यक्ति के कब्जे में होकर अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार तत्कालीन भू आवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा विपक्षी को ग्राम पिनोदड़ा की बिलानाम आराजी संख्या 169 रकबा 83 बीघा 15 बिस्वा किस्म भूरी भूमि में से 1 बीघा भूमि का कृषि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रयोनार्थ आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया जो जरिये नामान्तरण संख्या 260 दिनांक 12.07.1995 से श्री पूरणमल पिता काशीगिरी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज किया जिसके नवीन आराजी संख्या 302 रकबा 0.21 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। उक्त आराजी नम्बर 302 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का पुनावली के मौका पर्चा दिनांक 23.02.18 से होती है।

पटवार हल्का पुनावली ने अपने मौका पर्चा दिनांक 23.02.2018 में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा एवं काश्त नहीं होकर मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होकर अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त करना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा-काश्त नहीं है तथा मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होकर उसके द्वारा काश्त की जा रही है। विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 169 रकबा 83 बीघा 15 बिस्वा में से 1 बीघा (जिसके नवीन आराजी संख्या 302 रकबा 0.21 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रभा गौतम)